

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 272/2016

पंजीयन दिनांक 04.08.2016

- (1). चुन्नीलाल पिता नाथुराम जाति वैष्णव निवासी फुटपाल, रावतभाटा हाल मुकाम कोटा बेरियर, रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला, चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (2). धापुबाई पत्नी चुन्नीलाल जाति वैष्णव निवासी फुटपाल, रावतभाटा हाल मुकाम कोटा बेरियर, रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला, चित्तौड़गढ़(राज0)।



-अपीलांटगण

बनाम

- (1). राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (2). भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (3). क्षेत्रिय वन अधिकारी वन विभाग रावतभाटा बोराव, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (4). जिला वन अधिकारी, वन विभाग चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
प्रकरण संख्या 29/2011 निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.07.2016

- स्थित वक्त बहस-(1). नरेन्द्र कुमार नाहर-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). पूरणमल स्वर्णकार-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3). छोगालाल जाट- रेस्पोडेन्ट संख्या 3


निर्णय

दिनांक 02.08.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया


राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण अपीलांटगण के कब्जे काशत की मौजा फुटपाल तहसील रावतभाटा की आराजी संख्या 48/6 रकबा 08 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर सन 1985 से वादीगण अपीलांटगण का कब्जा है तथा दिनांक 05.06.1992 को आराजी संख्या 48 में से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वादीगण अपीलांटगण को आवंटित हुई थी जो जरिये नामान्तरण संख्या 54 दिनांक 25.06.1992 को वादीगण अपीलांटगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के नवीन नम्बर 48/6 हुये। नामान्तरण संख्या 83 दिनांक 14.12.2001 से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वादीगण अपीलांटगण की खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर वादीगण अपीलांटगण आवंटन से पूर्व काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं। हाल ही में तहसील रावतभाटा में सेटलमेंट की कार्यवाही हुई जिसके नोटिस भी सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा ने वादीगण अपीलांटगण को दिये परन्तु नोटिस में तारीख अंकित नहीं होने से वादीगण अपीलांटगण सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके इसलिए वादीगण अपीलांटगण की उक्त आराजीयात का खाता विलोपित कर दिया गया। पटवारी हल्का से जानकारी लेने पर यह ज्ञात हुआ कि वादीगण अपीलांटगण की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का खाता विलोपित कर दिया है जबकि वादीगण अपीलांटगण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काशत कर रहे हैं तथा वादीगण अपीलांटगण को उक्त आराजीयात पर सुखाधिकार भी प्राप्त है। वादीगण अपीलांटगण ने तहसीलदार रावतभाटा के यहां दिनांक 14.09.2009 को प्रार्थना-पत्र पेश कर स्वयं के खाते की आराजी बताये जाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार रावतभाटा ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की जिसमें यह तथ्य सामने आया कि वादीगण अपीलांटगण के खातेदारी की वर्णित विवादित कृषि आराजीयात नवीन भू-प्रबन्ध में निरस्त कर दी गई तथा वादीगण रेस्पोंडेन्टगण वर्तमान में मौजा कोलपुरा के नवीन खसरा नम्बर 437 पर काबिज है तथा खसरा नम्बर 437 वर्तमान में वन विभाग की खातेदारी में दर्ज है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट आने के बाद वादीगण अपीलांटगण ने दिनांक 19.12.2009 को प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्टगण को धारा-80 दीवानी प्रक्रिया संहिता के नोटिस दिलवाये लेकिन अभी तक वादीगण अपीलांटगण के खातेदारी व कब्जे की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को वादीगण अपीलांटगण के खातेदारी में दर्ज नहीं किया है। अन्त में मौजा कोलपुरा की आराजी संख्या 437 में 8 बीघा कृषि आराजीयात का वादीगण अपीलांटगण को खातेदार घोषित किये जाने व उक्त आराजीयात में वन विभाग की खातेदारी निरस्त किये जाने की निर्णव व डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।


 राजस्थान अपील प्राधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोजेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादीगण रेस्पोजेन्टगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। दिनांक 05.03.2014 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को लोक अदालत मे रखी जाकर तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के आधार पर मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 48/06 के बजाय मौजा कोलपुरा की नवीन भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 437 में वादीगण अपीलांटगण का कब्जा होना मानते हुए वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05.07.2016 से अंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोजेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादीगण रेस्पोजेन्टगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। दिनांक 05.03.2014 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। तनकीयात कायम किये बिना ही पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को लोक अदालत मे रखी गई। दिनांक 05.07.2016 को लोक अदालत के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के आधार पर मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 48/06 के बजाय मौजा कोलपुरा की नवीन भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 437 में वादीगण अपीलांटगण का कब्जा होना मानते हुए अपीलांटगण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे व पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के


राजसू अपील प्राधिकारी
चितौड़गढ़ (राज.)

वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण उभयपक्षकारान की सहमति व राजीनामे के आधार पर ही किये जाने का प्रावधान है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि वादीगण अपीलांटगण को मौजा फुटपाल की आराजी संख्या 48 रकबा 177 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा कृषि भूमि दिनांक 25.06.1992 को आवंटित हुई जिसके नवीन आराजी नम्बर 48/6 कायम किये जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये गये। उक्त आराजीयात बिलानाम सरकार भूमि होकर राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आराजीयात वन विभाग की खातेदारी में दर्ज नहीं थी। विधि अनुसार भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा वादीगण अपीलांटगण की खातेदारी के नये आराजी नम्बर कायम करने चाहिए थे परन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने नये नम्बर कायम नहीं किये। साथ ही वादीगण अपीलांटगण को आवंटित उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का आवंटन सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है। वादीगण अपीलांटगण विधिक रूप से आराजी संख्या 48/6 रकबा 8 बीघा पर काबिज है जिससे वादीगण अपीलांटगण उक्त आराजीयात के नये नम्बर कायम करा राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आराजीयात स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज करा इन्द्राज दुरुस्ती कराने का अधिकारी है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार उभयपक्षकारान के अभिवचनों पर सुनवाई करते हुए पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को लोक अदालत में रखी जाकर तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के आधार पर मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 48/06 के बजाय मौजा कोलपुरा की नवीन भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 437 में वादीगण अपीलांटगण का कब्जा होने एवं तथा वादीगण अपीलांटगण की खातेदारी घोषणा हेतु वांछित आराजी मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 48/6 पर कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नहीं होना प्रमाणित होने से वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्टगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। दिनांक 05.03.2014 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। परन्तु पत्रावली में तनकियात कायम किये बिना ही पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को लोक अदालत में रखी गई जिसकी अपीलांटगण प्रतिवादीगण को कोई सूचना नहीं दी गई। दिनांक 05.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत में रखी जाकर तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के आधार पर मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 48/06 के बजाय मौजा कोलपुरा की नवीन भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 437 में वादीगण अपीलांटगण का कब्जा होना मानते हुए अपीलांटगण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में व उभय पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है क्योंकि लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण उभय पक्षकारान की सहमति व राजीनामे के आधार पर ही किये जाने का प्रावधान है। साथ ही पत्रावली में जवाब प्रस्तुत किये जाने के बाद व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों की पालना भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 29/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2016 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण


राजस्थान अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि आदेश 20 नियम 5 जाफ़ा दीवानी की पालना करते हुए, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर अजसरे ,तनकीवार, नवनिर्णय परित करे। उभय पक्षकारान दिनांक 08.09.2022 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।



(Handwritten signature)

(हरिसिंह मीना)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चित्तौड़गढ़(राज0)